सत्यमेव जयते

प्रारुप एक

Form 1

निगमन का प्रमाण-पत्र

Certificate of Incorporation

सं० 55-47146 शक 19 13

No. 55-47146 of 19 91-92

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आज नेशनल बैकवर्ड क्लासिस फाइनैन्स एण्ड डवलपमैन्ट कॉर्पोरेशन की धारा 25 कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई है और यह कम्पनी xxxxxxxx बिना लाभ की है ।

I hereby certify that NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION section 25 of is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the Company is xxxxxx not for profit.

मेरे हस्ताक्षर से आज ता० 23 पौष, 1913 को दिया गया।

Given under my hand at NEW DELHI this THIRTEENTH day of JANUARY One thousand nine hundred and NINETY TWO.

कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा

V S Galgali

(वी. एस. गलगली)

कम्पनी रजिस्ट्रार

दिल्ली एवं हरियाणा

(V.S. GALGALI)

Registrar of Companies

DELHI & HARYANA

G A P. 3000-11-91

(कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत शेयरों द्वारा परिसीमित बिना लाभ की एक कम्पनी)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
नैशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
(एन.बी.सी.एफ.डी.सी) का संगम ज्ञापन

(I) कम्पनी का नाम 'नैशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फ़ाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' (एन.बी.सी. एफ.डी.सी.) है।

(II) कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के भीतर या उसके बाह्यआंचल में स्थित होगा।

(III) *(क) मुख्य उद्देश्य :*

कम्पनी द्वारा अपने निगमन पर जारी रखे जाने वाले मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना;
2. पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडो के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना। माइक्रो फाइनेन्सिंग योजना के अंतर्गत स्वं-सेवा समूह जिनमें कम से कम 75 प्रतिशत लक्षित वर्ग हो, वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जा सकेंगे। पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के समूह ऐसे समूहों को सम्मिलित करेगा जिसमें अधिकांशत: (75% एवं अधिक) सदस्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित होंगे तथा अन्य सदस्य कमजोर वर्गों के (जैसा कि आय एवं आर्थिक मानदण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है) जिनमें अनुसूचित जाति/जन-जाति, अल्पसंख्यक एवं अक्षम व्यक्ति सम्मिलित होंगे;
3. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए स्वरोजगार तथा दूसरे काम के अवसरों को प्रोत्साहित करना;
4. चुने हुए मामलों में, देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुदत्त बजटीय सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त उपलब्ध कराना;
5. पिछड़ी जातियों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए ऋणों का विस्तार करना;

6. उत्पादन इकाइयों के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़ी जातियों की तकनीकी एवं उद्यमीय कुशलताओं के उत्थान में सहायता करना;

7. पिछड़ी जातियों के विकास से जुड़े राज्य स्तरीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वाणिज्यिक निधि प्राप्त करने में या पुनः वित्त उपलब्ध कराकर सहायता करना;

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डों के कार्य में, पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास की सीमा तक, सहयोग करने तथा इसकी देखरेख करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना;

9. पिछड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

(ख) सहायक उद्देश्य :

मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रासंगिक या सहायक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश के भीतर या बाहर से या दोनों से, जैसा निगम उचित समझे सभी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करना।

2. ऐसी पूर्वापेक्षाओं को प्राप्त करने से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय एवं वाणिज्यिक कर्त्तव्यों, दायित्वों, तथा प्रचालनों को आरंभ करना।

3. भारत के किसी भी भाग में निगम की शाखाओं, कार्यालयों या अभिकरणों की स्थापना करना तथा उन्हें बंद करना।

4. उपर्युक्त कार्यों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार सरकारी संगठनों, सलाहकार बोर्डों तथा दूसरे उपयुक्त निकायों की विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में स्थापना करना तथा उन्हें बढ़ावा देना।

5. कम्पनी की उन धनराशियों, जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, का उस प्रकार जैसा कि समय-समय पर तय किया गया है कम्पनी के शेयर से अन्यथा, निवेश करना।

परन्तु कम्पनी अपने सदस्यों या अन्य किसी नियमन या प्रतिबंध को जिसका उद्देश्य कम्पनी को एक ट्रेड यूनियन बनाना है, अपनी निधियों या इसे लागू करने के प्रयत्न, या इसे अवलोकन द्वारा प्राप्त करने के माध्यम से सहायता नहीं करेगी।

(ग) अन्य उद्देश्य : कुछ नहीं।

(IV) कम्पनी के उद्देश्यों का विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।

(V) 1. कम्पनी की आय तथा सम्पत्ति, जब भी प्राप्त की जाए, पूरी तरह इस संगम ज्ञापन में वर्णित इसके उद्देश्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

2. उपर्युक्त आय अथवा सम्पत्ति के किसी भाग का भुगतान या हस्तांतरण लाभांश, अधिलाभ के तौर पर अथवा अन्य प्रकार से कम्पनी के सदस्यों को नहीं किया जाएगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार सदस्यों को उचित मुआवजे के भुगतान पर प्रतिबंध नहीं होगा।

3. केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी भी सदस्य को कम्पनी के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो वेतन, शुल्क या अन्य किसी रीति से पारिश्रमिक प्राप्त करते हों।

4. केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी भी सदस्य को कम्पनी के अर्न्तगत किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो वेतन, शुल्क या अन्य किसी रीति से पारिश्रमिक प्राप्त करते हों और जो उप-खण्ड (3) से भिन्न नहीं हो।

5. इस खण्ड का कोई भी भाग कम्पनी द्वारा सद्भावना से अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों (जो सदस्य न हों) को या किसी अन्य व्यक्ति (जो सदस्य न हों) को कम्पनी को समर्पित उसकी किन्हीं वास्तविक सेवाओं के बदले उचित पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगा।

(VI) कम्पनी के इस संस्थागत संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेदों, जो तात्कालिक तौर पर व्यवहार में हैं, में तब तक कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा जब तक उसे केन्द्र सरकार को पहले प्रस्तुत न कर दिया गया हो और उस पर अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो।

(VII) सदस्यों का दायित्व सीमित है।

(VIII) कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी रू. 15,00,00,00,000/- (केवल पन्द्रह सौ करोड़ रूपया) है जो रू. 1,000/- (केवल एक हजार रूपया) प्रत्येक के 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख) समान शेयरों में विभाजित है।

(IX) कम्पनी द्वारा प्राप्त और खर्च की गई तमाम धनराशियों के सही लेखे रखे जाएंगे और वे मामले जिनके सम्बन्ध में ये प्राप्तियां तथा व्यय होते हैं, तथा कम्पनी की सम्पत्ति जमा शेष तथा देयताओं संबंधी लेखे, किसी भी उचित प्रतिबंध के अधीन सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। एक वर्ष में कम से कम एक बार कम्पनी के लेखों की लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा तुलन-पत्र व आय एवं व्यय लेखों की विधिवत् परिशुद्धता एक या अधिक योग्य लेखा-परीक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(X) यदि कम्पनी का परिसमापन या विघटन होता है तो क्षतिपूर्ति या सभी कर्जे व देनदारियां चुकाने के बाद जो कुछ भी सम्पत्ति बचती है, वह कम्पनी के सदस्यों में बांटी नहीं जाएगी बल्कि केन्द्र सरकार को प्रदान या हस्तातंरित कर दी जाएगी।